

२५/६

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पार्टी इत्यादि
नहीं। न्यायालय समय में बाज-बाज आया
लगाने पर भी वकील वादी व पार्टी कोई भी
उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम्य रूप में अदम्य
शर्तों में ब्यारिज की जाती है। पत्रावली के अंत
सुनार डीकर बाद नववीक तक नौकरी बंद
होए।

SM
सहायक कलेक्टर एवं
न्यायालयक परिमस्टर

